रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102024-258285 CG-DL-E-28102024-258285

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4321]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/ कार्तिक 6, 1946 NEW DELHI. MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

No. 4321]

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4697(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के परामर्श से, एतद्वारा जम्मू स्थित एनआईए न्यायालय को केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु, विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

उपरोक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे जम्मू एवं कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. 11011/42/2022/एन.आई.ए.]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

6982 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (CTCR DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4697(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court and the Government of Jammu and Kashmir, hereby designates the National Investigation Agency Court, Jammu as the Special Court for the purpose of subsection (1) of section 11 of the said Act, exclusively for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court for National Investigation Agency mentioned above shall extend throughout the Union territory of Jammu and Kashmir.

[F. No. 11011/42/2022/NIA]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.